


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2014/अश्विन 25, 1936

No. 539]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2014/ASVINA 25, 1936

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 732(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार जो यह समझती है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समायोजित है, एतद्वारा उन पासपोर्ट धारकों को जिनके पासपोर्ट सितंबर, 2014 में जम्मू-कश्मीर राज्य में आई बाढ़ के कारण नष्ट हो चुके हैं अथवा खो चुके हैं, पासपोर्ट नियमावली, 1980 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत विनिर्दिष्ट पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- (क) पासपोर्ट शुल्कों के भुगतान से इस प्रकार की छूट जम्मू व कश्मीर के उन पासपोर्ट धारकों के लिए ग्राह्य होगी जिनके पासपोर्ट बाढ़ में नष्ट हो चुके हैं अथवा खो चुके हैं;
- (ख) दूसरा पासपोर्ट उन सभी आवेदकों को पुराने पासपोर्ट में उल्लिखित ब्यौरे तथा वैधता अवधि के साथ जारी किया जाएगा जो इस प्रकार की छूट प्राप्त करने के इच्छुक हों;
- (ग) इस प्रकार की छूट यह अधिसूचना जारी करने की तिथि से छः माह की अवधि के लिए लागू रहेगी।

[फा. सं. V.I/401/1/18/2014]

मुक्तेश कु. परदेशी, संयुक्त सचिव तथा मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October, 2014

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do hereby exempts the passport holders whose passport got damaged or lost due to occurrence of flood in the State of Jammu and Kashmir in September, 2014, from payment of passport fees specified under section 5 of the said Act, read with rule 8 of the Passports Rules, 1980 subject to the following conditions, namely:-

- (a) such exemption in payment of passport fees shall be applicable only to such passport holders of Jammu and Kashmir whose passports are damaged or lost in the flood;
- (b) duplicate passports shall be issued to all applicants desirous of availing such exemption with the same particulars as in their previous passports and for the remaining period of validity;
- (c) such exemption shall remain in force for a period of six months from the date of issue of this notification.

{F. No. V.1/401/1/18/2014}

MUKTESH K. PARDESHI, Jt. Secy.